

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर, राजस्थान

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोधपुर/मान्यता/2014/281

दिनांक : 16/7/14

सचिव/अध्यक्ष,

ड्यून्स एकेडमी एज्युकेशन सोसायटी,
आऊ फलोदी, जोधपुर।

विषय :-नियम 8 ए के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के मान्यता अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-9(2) शिक्षा-5/2005 पार्ट दिनांक 20.05.14 की अनुपालना में आपके द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र के आधार पर मान्यता अनुज्ञा पत्रविद्यालय के पत्र-व्यवहार/ निरीक्षण के संबंध में ड्यून्स एकेडमी आऊ फलोदी जोधपुर (विद्यालय का नाम व पता) को अस्थाई मान्यता कक्षा पहली से कक्षा पांचवी तक तीन वर्ष की अवधि 01.07.14 से 30.6.17 तक माध्यम अंग्रेजी में संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

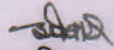
निम्नलिखित दशाओं की पूर्ति उपर्युक्त स्वीकृति के अधीन की जानी है:-

1. मान्यता की स्वीकृति कक्षा आठ से अधिक नहीं बढ़ाई जाती है।
2. विद्यालय द्वारा "बच्चों को शिक्षा के अधिकार" एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (केन्द्र की धारा 35/2009) एवं राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के अधीन पालना की जायेगी।
3. धारा 2009 के विस्तार में विद्यालय द्वारा स्वीकार किया जायेगा कि कक्षा एक या कक्षा एक से पूर्व जैसा भी प्रकरण हो, कक्षा की समुचित संख्या में से कमजोर वर्ग के बच्चों और वंचित रहें समूह के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उनकी शिक्षा प्राप्ति तक दी जानी है।
4. अवतरण तीन में सन्दर्भित बच्चों को विद्यालय द्वारा राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा के अधिकार और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय द्वारा अलग से बैंक में खाता संधारित किया जायेगा।
5. संस्था/विद्यालय द्वारा कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क और बच्चों और माता-पिता का कोई साक्षात्कार (बच्चों के प्रवेश के लिए) नहीं लिया जायेगा।
6. विद्यालय किसी भी बच्चों की आयु संबंधी प्रमाण की कमी के आधार पर बच्चे के प्रवेश के लिए मना नहीं करेगा और अधिनियम 2009 की धारा 15 के प्रावधानों पर अडिग रहेगा। विद्यालय यकीन करेगा कि-
 - (i) किसी भी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा, न ही विद्यालय से बाहर किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बच्चों को न तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जायेगा और न ही शारीरिक रूप से सजा दी जायेगी।
 - (iii) किसी भी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उत्तीर्ण होने के लिए बोर्ड की परीक्षा निर्धारित नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्रत्येक बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर, उसे पारितोषिक प्रमाण पत्र के रूप में राजस्थान में बच्चों के मुफ्त शिक्षा के अधिकार एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा।
 - (v) अशक्त/विशेष आवश्यकता वालों विद्यार्थियों को अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सम्मिलित किया जायेगा।
 - (vi) अध्यापकों को न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपनियम (1) पर निर्धारित दायरे में नियुक्त दी जानी है।
बशर्त कि वर्तमान अध्यापक जो अधिनियम 2009 की घोषणा तक न्यूनतम योग्यता धारित न हो तो वह कम से कम पाँच वर्ष की अवधि में योग्यता अधिनियम, 2009 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करेगा।
 - (vii) अधिनियम 2009 की धारा 24 के उपनियम (1) के अनुसार अध्यापक अपने कर्तव्य की पालना करेगा और
 - (viii) अध्यापक/अध्यापिका अपने आप को किसी भी निजी शिक्षण गतिविधियों में व्यस्त नहीं रखेगा।
7. विद्यालय उपर्युक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यवस्तु का अनुसरण करेगा।

8. अधिनियम 2009 की धारा 19 के अनुरूप विद्यालय अपना स्तर और मापदण्ड कायम रखेगा। सुविधाएँ अन्तिम निरीक्षण के समय तक दी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं:-

क्र०सं०	विवरण	पत्रावली संख्या
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्र	संलग्न
2	कुल निर्मित क्षेत्र	संलग्न
3	खेलकूद के मैदान का क्षेत्र	संलग्न
4	कक्षा-कक्षों की संख्या	संलग्न
5	प्रधानाध्यापक मय भण्डार कक्ष	संलग्न
6	छात्र-छात्रों के लिए अलग शौचालय	संलग्न
7	पीने के पानी की सुविधा	संलग्न
8	मिड-डे-मिल भोजन पकाने की रसोई	संलग्न
9	व्यवधान रहित आवागमन	संलग्न
10	शिक्षण सिखलाई संबंधी उपकरणों/खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	संलग्न

9. एक ही विद्यालय के नाम से विद्यालय के बाहर या अन्दर किसी भी प्रकार की अधिकृत प्रावधानों के खिलाफ (अनाधिकृत) कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य निर्मित ढांचा या मैदान का शिक्षा के उद्देश्य के लिए प्रयोग और कौशल विकास के लिए प्रयोग किया जाना है।
11. विद्यालय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 (केन्द्र के अधिनियम 1860 की धारा 21), राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 (1958 की धारा 28) या एक सार्वजनिक न्यास जो कुछ समय के लिए कानूनन बनाई गई हो, के अधीन कार्य करेगा।
12. विद्यालय किसी भी व्यक्तिगत/समूह या व्यक्तिगत संस्थ या अन्य कोई व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखा-जोखा का अंकेक्षण किया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा उचित लेखा सूची को नियमानुसार प्रमाणित करवाया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रमाणित लेखा सूची को प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रति वर्ष भिजवायी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को निम्नलिखित मान्यता क्रमांक प्रदत्त किया जाता है। यह कृपया ध्यान में लाया जाए कि कार्यालय से किये गये प्रत्येक पत्र व्यवहार में भी इस का उल्लेख किया जाए।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएँ संधारित रखेगा जो निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा समय समय पर मांगी जाती हैं। साथ ही, भारत सरकार/स्थानीय अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करने की अवस्था में ही मान्यता दी जानी या रद्द की जानी निर्भर करती है।
16. संस्था के पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्यतः समय-समय पर किया जाना है।
17. अन्य शर्तें संलग्नित प्रदर्श के अनुसार हैं।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोधपुर/मान्यता/2014/.....

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
3. श्रीमान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति ओसिया/बावडी, बालेसर/शेरगढ़/ओसिया/मण्डोर/फलोदी/बाप/लूणी/बिलाडा/भोपालगढ़/जोधपुर।
4. सचिव/अध्यक्ष ड्यून्स एकेडमी एज्युकेशन सोसायटी, आऊ फलोदी, जोधपुर।
5. कार्यालय पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम जोधपुर

प्रमाण पत्र

इयून्स एकेडमी एज्युकेशन सोसायटी ग्राम आऊ फलोदी जोधपुर द्वारा संचालित इयून्स एकेडमी इन्द्रप्रस्थ नगर ग्राम आऊ फलोदी जोधपुर को राजस्थान राज्य में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए निभाई जा रही भूमिका के दृष्टिगत श्रीमान व. शासन उपसचिव के पत्रांक प-9 (3) शिक्षा-5/ऑनलाईन मान्यता/2015 पार्ट जयपुर दिनांक 30.06.16 एवं श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी0एफ0/19626/ऑनलाईन मान्यता/2016-17 दिनांक 30.06.16 द्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में संस्था द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र एवं सक्षम स्तर पर निरीक्षण एवं अनुमोदन उपरान्त निम्न शर्तों एवं अनुबंधों के आधार पर सत्र 2016-17 से उच्च प्राथमिक स्तर पर मान्यता/क्रमोन्नति कर (माध्यम-अंग्रेजी में) संचालन करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

1. संस्था द्वारा प्रस्तुत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट-1 में अंकित सूचनाएं परिशिष्ट-2 में यथा निर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों की पूर्ति एवं इस बात के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार कमी पाये जाने पर जारी प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
2. संस्था द्वारा राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने पर आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय-समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संस्था पाबंद होगी। अवमानना की स्थिति में जारी प्रमाण-पत्र प्रत्याहरित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
3. संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी शिक्षण संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परन्तु इस प्रयोजनार्थ इन्हें संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के नवीन निर्देशानुसार प्रत्येक संस्था को प्रत्येक तीन वर्ष में अपने द्वारा संचालित विद्यालय भवन का 'भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र' मय ब्ल्यू प्रिंट के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
5. राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम 1993 के नियम 23 के अनुरूप कार्यकारिणी का निर्वाचन कर प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को समय-समय पर प्रस्तुत करनी होगी।
6. संस्था द्वारा संचालित विद्यालय को प्रमाण-पत्र जारी करने के वर्ष 2016 में कक्षा 6, 7 एवं कक्षा-8 प्रारम्भ कर सकेंगे।
7. अभिभावक/छात्र के द्वारा T.C. चाहने पर नियमानुसार जारी करेंगे एवं प्रधानाध्यापक के परिवर्तन की सूचना परिवर्तन के साथ ही हस्ताक्षर प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।
8. विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना शाला संचालन स्थान का परिवर्तन नहीं किया जावे।
9. सूचना के अधिकार के तहत आपके विद्यालय से समस्त सूचनाएं मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।
10. आरटीई (RTE) के नियमों की पालना करनी होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर

दिनांक : 26/10/16

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोध/मान्यता/2016/एफ-13/393

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
3. श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
4. इयून्स एकेडमी एज्युकेशन सोसायटी ग्राम आऊ फलोदी जोधपुर।
5. कार्यालय पंजिका।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JODHPUR, राजस्थान

क्रमांक: 1548

दिनांक 04.07.22

सचिव

प्रबंध समिति

Dunes Academy

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 41429 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Dunes Academy पता Tehsil Phalodi, District Jodhpur ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय AAU ब्लॉक AAU आसा पासा (पूर्व-पश्चिम, उत्तर दक्षिण) 449aca खसरा न. 451/9 को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
विद्यालय की स्वीकृत क्रमोन्नति कक्षा स्तर	Pr. with Up.Pr. with sec. Only (1-10)
विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 संचालित करना चाहता है	Yes
मान्यता का माध्यम	English

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के रूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, जयपुर